

## क्रयद्यि अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

## तहसील - नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली जिला - इन्दौर, मध्यप्रदेश

## (अन्य पिछडे वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 9617/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/439/0106/104631/2015

दिनांक: 29/09/2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री **आयुष पुत्र श्री भानुप्रताप** (पिता) एवं श्रीमती **पिंकी मौर्य** (माता) नगर **इंदौर (निन) पार्ट**, तहसील **नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली, जिला इन्दौर** मध्यप्रदेश **मुराई** जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछडा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 33 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

- 1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित <mark>जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की</mark> अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
- 2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
- 3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।
- 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री **आयुष** क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गी की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया हैं।
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक **आयुष** के परिवार की कुल वा<mark>र्षिक आय उ</mark>नके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रूपये **48000.00** हैं ।
- 4. श्री **आयुष** पुत्र श्री **भानुप्रताप** सामान्यतः (Ordinarily) नगर **इंदौर (निन) पार्ट**, तहसील **नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली**, जिला **इन्दौर** (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली

दिनांक : 29/09/2015 आधार नंबर : समग्र नं : तहसील - नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली

श्री संतोष टैगोर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।

<sup>1.</sup> प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।

<sup>3.</sup> प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं Rs/439/0106/104631/2015 के द्वारा बेबसाईट http://mpedistrict.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।